



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2007/श्रावण 18, 1929

No. 367]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2007/SRAVANA 18, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) संशोधन नियम, 2007 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—
 1. नियम 2 के उप-नियम (1) में,
 - (क) खंड (ड) के अंत में "या उसके द्वारा नाम-निर्देशित अपर प्रभागीय रेल प्रबंधक" शब्द जोड़े जाएंगे;
 - (ख) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज क) 'बल का अधिकारी' से रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 2 के खंड (ग) और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 26क में यथा परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है";
 - (ग) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) 'प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त' से कमांडेंट पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ऐसा अधिकारी जो किसी प्रभाग या रेल से संबद्ध किसी अन्य स्थान पर किसी रेल स्थापन का प्रधान है, अभिप्रेत है";
 - (घ) खंड (ड) और खंड (द) का लोप किया जाएगा।
 2. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. स्टेशन अधीक्षक, गार्ड, संवाहक और गाड़ी का भारसाधक गाड़ी टिकट परीक्षक के कर्तव्य.—(1) यदि स्टेशन पर कोई अनपेक्षित घटना घटती है तो संबद्ध स्टेशन अधीक्षक आहत यात्रियों की चिकित्सीय सहायता के लिए तत्काल इंतजाम करेगा और ऐसी घटना की रिपोर्ट घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर प्ररूप-1 में प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को देगा।

- (2) यदि सेक्शन के मध्य में कोई अनपेक्षित घटना घटती है तो संबद्ध गाड़ी का गार्ड निकटतम स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को सूचित करेगा जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (3) यदि अनपेक्षित घटना में गार्ड आहत हो जाता है तो संबद्ध गाड़ी का संवाहक निकटतम स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को सूचित करेगा जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (4) यदि गार्ड और संवाहक दोनों अनपेक्षित घटना में आहत हो जाते हैं तो भारसाधक गाड़ी टिकट परीक्षक निकटतम स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को सूचित करेगा जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (5) यदि उप-नियम (2), उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में उल्लिखित अधिकारियों की अनुपस्थिति में स्टेशन के मध्य में कोई अनपेक्षित घटना घटती है तो स्टेशन का अधीक्षक उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।
3. उक्त नियमों के नियम 5 का लोप किया जाएगा।
4. उक्त नियमों के नियम 6 में,—
- (क) खंड (iii) में "भारसाधक" शब्द के स्थान पर "प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) खंड (iv) और खंड (v) का लोप किया जाएगा।
5. उक्त नियमों के नियम 7 में,—
- (क) उप-नियम (1) में "जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-नियम (1) में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "(ii) नियम 6 के खंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति अभिप्राप्त करेगा";
- (ग) उप-नियम (2) में "अन्वेषण पूरा हो जाने पर" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन के भीतर अन्वेषण पूरा करेगा और" शब्द रखे जाएंगे।
- (घ) उप-नियम (2) में "प्राधिकारियों" शब्द के स्थान पर "प्राधिकारी" शब्द रखा जाएगा।
6. उक्त नियम के नियम 10 में,—
- (क) उप-नियम (2) में, "प्रभागीय रेल प्रबंधक और" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "(3) प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त बल के अधिकारी से अन्वेषण की रिपोर्ट की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर प्रभागीय रेल प्रबंधक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"
7. उक्त नियमों के नियम 11 के उप-नियम (1) में "रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल उसकी जांच करेगा" शब्दों के स्थान पर "नियम 10 के उप-नियम (3) में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंद्रह दिन के भीतर उसकी जांच करेगा" शब्द रखे जाएंगे।
8. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "13. दावा कार्यालय को रिपोर्ट का भेजा जाना.—(1) अन्वेषण रिपोर्ट को, उस पर प्रभागीय रेल प्रबंधक की स्वीकृति के साथ आंचलिक रेल के उस दावा कार्यालय के प्रशासनिक भारसाधक को, जहां घटना घटित हुई है, पंद्रह दिन के भीतर भेजा जाएगा।
- (2) आंचलिक रेल के दावा कार्यालय का वह प्रशासनिक भारसाधक जिसने उस विशिष्ट घटना की सूचना प्राप्त की है रेल के उस दावा कार्यालय से रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था करेगा जहां घटना घटित हुई है और उसे लिखित कथन के साथ रेल दावा अधिकरण की संबंधित न्यायपीठ को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 2001/टीसी-III/26/45/आरसी]

बी. एल. मीना, कार्यकारी निदेशक (जन शिकायत)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 646(अ), तारीख 8 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2007

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules),—

1. In rule 2, in sub rule (1),

(a) in clause (e) at the end, the words “or the Additional Divisional Railway Manager nominated by him” shall be added;

(b) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ja) ‘Officer of the Force’ means the authorised officer as defined in clause (c) of Section 2 of the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 and clause 26A of Section 2 of the Railways Act, 1989;”

(c) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

“(f) ‘Divisional Security Commissioner’ means an officer, not below the rank of a Commandant, who is the head of the Force of a Division or a Railway Establishment at any other place connected with the Railways”;

(d) clauses (m) and (n) shall be omitted.

2. In the said rules for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

“4. Duties of Station Superintendent, Guard, Conductor and Train Ticket Examiner incharge of the train.—

(1) If an untoward incident occurs at the station, the concerned Station Superintendent shall immediately arrange for medical assistance to the injured passengers and report such incident within twenty-four hours of the occurrence to the Divisional Security Commissioner in Form-1.

(2) If an untoward incident occurs in the mid-section, the Guard of the concerned train shall inform the Station Superintendent of the nearest station who shall perform the duties referred to in sub-rule (1).

(3) In case the Guard is injured in an untoward incident, the Conductor of the concerned train shall inform the Station Superintendent of the nearest station who shall perform the duties referred to in sub-rule (1).

(4) In case both the Guard and the Conductor are injured in an untoward incident, the Train Ticket Examiner incharge shall inform the Station Superintendent of the nearest station who shall perform the duties referred to in sub-rule (1).

(5) If an untoward incident occurs in mid-section, in the absence of officers mentioned in sub-rules (2), (3) and (4), the Station Superintendent, if it comes to his notice, shall perform the duties referred to in sub-rule (1).”

3. In the said rules, rule 5 shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 6,—

(a) in clause (iii), for the words “in-charge”, the words “Divisional Security Commissioner” shall be substituted;

(b) clauses (iv) and (v) shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 7,—

(a) in sub-rule (1), the words “not below the rank of Inspector” shall be omitted.

(b) in sub-rule (1), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ii) obtain a copy of the report specified under clause (iii) of rule 6”;

(c) in sub-rule (2) for the words “on completion of the investigation shall”, the words “shall complete the investigation within sixty days and” shall be substituted.

- (d) in sub-rule (2) for the word "authorities", the word "authority" shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 10,—
- (a) in sub-rule (2), the words "Divisional Railway Manager and" shall be omitted;
- (b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
- "(3) The Divisional Security Commissioner shall submit the report to Divisional Railway Manager within fifteen days of the receipt of report of investigation from officer of the force."
7. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for the words "shall immediately examine the same", the words "mentioned in sub-rule (3) of rule 10 shall examine the same within fifteen days" shall be substituted.
8. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—
- "13. Sending report to Claim Office.—**(1) The investigation report along with acceptance of Divisional Railway Manager thereon shall be sent within fifteen days to the administrative in-charge of the Claim Office of the Zonal Railway where the incident has occurred.
- (2) The administrative in-charge of Claim Office of the Zonal Railway who has received the notice of claim for that particular incident shall arrange to collect the report from the claim office of Railway where the incident has occurred and submit the same to the concerned Bench of the Railway Claims Tribunal along with the Written Statement."

[F. No. 2001/TC-III/26/45/RC]

B. L. MEENA, Executive Director (Public Grievances)

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 646(E), dated the 8th August, 2003.